121

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. / 2014 पुनरीक्षण R. 3428-III/14

मुकेश भार्गव ओथि
9-10-14

9-10-14
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

ओमप्रकाश तनय गंगाराम धोबी
निवासी खडडी तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. वीरेन्द्र कुमार शुक्ला तनय रामरूप शुक्ला
2. रामनारायण तनय बैजनाथ उपाध्याय
3. बब्बू तनय बैजनाथ उपाध्याय

निवासीगण खडडी तह. गौरिहार
जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... गैरनिगरानीकर्तागण

WS
मुकेश भार्गव
9-10-14 एडवोकेट
ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय लवकुश नगर / गौरिहार जिला छतरपुर म.प्र. के अपील प्र.कं. ~~[illegible]~~/52/अपील/13–14 में पारित आदेश दिनांक 4.10.14 के विरूद्ध म.प्र. भू. रा. सं. की धारा 50 के तहत

माननीय महोदय,

श्रीमान निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते हैं –

1– यह कि, अनावेदक गैर निगरानीकर्ता कं. 1 ने योग्य अधीनस्थ न्यायालय में सरपंच ग्राम पंचायत खडडी विकासखण्ड गौरिहार जिला छतरपुर म.प्र. में पंजी कं. 3/ 180 में पारित आदेश दिनांक 28.10.97 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की थी जिसमें अनावेदकगण कं. 1 के द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम का

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3428–तीन/14 जिला –छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश ओमप्रकाश विरुद्व वीरेन्द्र	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9 .12.16	यह निगरानी आवेदन आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 52/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 4.10.14 के विरूद्व प्रस्तुत की है। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक –1 वीरेन्द्र कुमार तनय रामरूप ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 11.2.14 को नामांतरण पंजी कमांक 3/180 पर ग्राम पंचायत खडड़ी विकासखण्ड गौरीहार जिला छतरपुर द्वारा की गयी कार्यवाही एवं नामांतरण आदेश दिनांक 28.10.97 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की जिसमें उनका कहना था कि अपील के प्रतिअपीलार्थीगण के नाम जो नामांतरण आदेश हुये है वे अवैध है भूमि सर्वे कमांक 7476/2 क्षेत्रफल 0.077 है0 शासकीय आम निस्तार की भूमि है जिसका पटटा पूरन सिंह वल्द जोधा सिंह ठाकुर के नाम हुआ था जिसे अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने निरस्त कर दिया था पूरन सिंह के नाम की अवैध प्रविष्ठि का लाभ उठाकर रामनारायण एवं बब्बू पुत्रगण बैजनाथ उपाध्याय ने अपना नामांतरण भतीजा कह कर करा लिया था पूरन सिंह ठाकुर था जबकि रामनारायण एवं बब्बू ब्राहम्ण है उसके बाद दोनों ने यह भूमि ओमप्रकाश को बेच दी रामनारायण एवं बब्बू के नामांतरण की जानकारी होने पर अपील प्रस्तुत की है।	1

3– अनुविभागीय अधिकारी ने अपील के प्रतिअपीलार्थी को अपील का सूचना पत्र प्रेषित किया जिस पर से उन्होने उपस्थित होकर अपील समय सीमा से बाहर व अपीलार्थी का आवश्यक पक्षकार न होने से अपील निरस्त करने की प्रार्थना की अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद अपने विवादित आदेश दिनांक 4.10.14 से अपील को जानकारी के दिनांक से समयावधि में होना माना है। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश को इस निगरानी में चुनौती दी गयी है।

4– इस न्यायालय द्वारा अनावेदक वीरेन्द्र कुमकार को पंजीकृत डाक द्वारा सूचना पत्र प्रेषित किया परंतु सूचना के बाद भी उपस्थित न होने पर उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गयी तथा आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने गये।

5– आवेदक के अधिवक्ताका तर्क हे कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपीलकर्ता अनावेदक 1 को आदेश की जानकारी पूर्व से ही थी जब भूमि के सीमांकन के लिये दिया गया आवेदन दिनांक 2.3.2000 को निरस्त हो गया था। उनका कहना है कि धारा–5 म्याद अधिनियम के अंतर्गत दिये गये आवेदन में विलंब के प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । इसलिये अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समयावधि में मानने में गलती की है । साथ ही उनका अगला तर्क है कि पूरन सिंह को दिया गया पटट्ा अपील में निरस्त होने के बादउसे पुनः पटट्ा दिया गया था एवं यह भी कहा गया कि भूमि निस्तार की नहीं है।

6– आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को पर मनन किया

गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया था । अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के साथ संलग्न मूल नामांतरण पंजी कमांक 3/180 पर ग्राम पंचायत ने पूरन पिता जोधा ठाकुर के स्थान पर रामनारायण एवं बब्बू पुत्रगण बैजनाथ व जमुनिया बेवा बैजनाथ का नामांतरण किया है । पंजी पर जो सजरा खानदान बनाया गया हे उसमें रामनारायण व बब्बू पिता बैजनाथ ब्राहम्ण को भतीजा लिखा गया है। उत्तराधिकार के आधार पर किया गया है। पूरन सिंह ठाकुर था एवं जिनके नाम नामांतरण किया गया वे ब्राहम्ण जाति के होना पंजी से ही स्पष्ट है जिसके लिये किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। प्रथम दृष्टया ही यह नामांतरण अवैध एवं अधिकारिता रहित है । ग्राम पंचायत के आदेश में केवेल यह लिखा है कि इस्तहार जारी किया गया एवं समाचार पत्र में प्रकाशन कराने के बाद कोई आपत्ति नहीं आयी इसलिये प्रविष्टि परिवर्तित की जाती है आदेश में प्रविष्टि परिवर्तित करने का कोई कारण अथवा आधार नहीं दिया गया है।

7— नामांतरण पंजी पर किया गया आदेश प्रथम दृष्ट्या ही अवैध हे क्यों कि जिनव्यक्तियों के नाम नामांतरण किया गया वे पूरन सिंह ठाकुरके भतीजे हो ही नहीं सकते और ना ही उनकी मां जमुनिया भतीजा हो सकती है । ग्राम पंचायत को ऐसे नामांतरण करने का अधिकार दिया गया है जो अविवादित हो तथा स्वत्व का अंतरण किसी विध्सिसम्मत तरीके से किया गया हो विवादित नामांतरण न तो वैध नामांतरण कहा जा सकता है और ना ही ग्राम पंचायत को ऐसा नामांतरण करने का विचारधिकार रहित

आदेश के विरूद्व अपील में समयावधि की कोई बाधा नहीं आती है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत का अनुसारण करते हुये राजस्व मण्डल ने 1982 रेवेन्यू निर्णय 470 में व्यवस्था दी है।

8— जहां तक आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दिये गये अन्य तर्को का प्रश्न हे वे तर्क प्रकरण के तथ्यों एवं ग्राम पंचायत द्वारा किये गये नामांतरण आदेश की विवेचना से स्वतः व्यर्थ हो जाते हैं । अनुविभागीय अधिकारी के संज्ञान में पुलिस थाना गौरीहार के प्रतिवेदन दिनांक 5.3.14 से यह तथ्य भी आया कि भूमि सर्वे कमांक 1476 / 2 में नाला है जिससे पूरे गांव का पानी निकलता है। उसमें हैडपंप लगा है उसका उपयोग गांव वासी करते है। उक्त भूमि में लगे पीपल व बरगद के बृक्षों का गांववासी पूजन करते हैं इससे स्पष्ट हो जाता है कि भूमि सार्वजनिक उपयोग की निस्तारी भूमि हे निस्तार की भूमि पर यदि कोई व्यक्ति अपना अधिकार अवैध रूप से प्राप्त करके उसे पाना चाहता हे तब ग्राम के प्रत्येक निवासी को यह अधिकारी है कि वह सक्षम न्यायालय में उसे चुनौती दे सके । इसलिये अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक 1 को अपील करने का अधिकार था एवं अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समयाविध होना मानने में कोई प्रकिया अथवा विचाराधिकार संबंधी त्रुटि नहीं की है।

9— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगीरानी का आवेदन सारहीन होने से निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपील का यथाशीघ्र निराकरण करें।

सदस्य